Form No. III
फर्दअहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन)** मुकाम **चित्तौड़गढ**

बालु बनाम **सरकार वगैराह**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **आदेश 41 नियम 19 जा0दी0**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र (विविध)** नं0 **012** सन् **2026**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.02.2026	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता **राजेन्द्र सुखवाल** हाजिर। अप्रार्थीगण की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर। हाजिर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 039/2020(रा.अ.) अनवानी बालु बनाम तहसीलदार राशमी वगैराह अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 निर्णय दिनांक 26.11.2021 को पुनः सुनवाई हेतु संस्थित किये जाने बाबत् आवेदन पेश किया गया है। वकील प्रार्थी द्वारा अपनी अपील को पुनः सुनवाई हेतु संस्थित किये जाने बाबत् आवेदन दिनांक 14.01.2026 को पेश किया गया जो कि बेरून मियाद पेश किया गया है एवं विलम्ब क्षम्य किये जाने हेतु धारा 05 मियाद अधिनियम, 1963 का प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा अतः न्यायालय हाजा द्वारा 039/2020(रा.अ.) अनवानी बालु बनाम तहसीलदार राशमी वगैराह अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 निर्णय दिनांक 26.11.2021 प्रार्थी/अपीलार्थी के व्यतिक्रम में खारीज किया गया है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध नकल आदेशिका से प्रमाणित होता है। न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण का निर्णय गुणावगुण पर नहीं किया जाकर व्यतिक्रम में किया गया है। इस तथ्य को हाजिर राजकीय अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है कि अपील का निस्तारण गुणावगुण पर नहीं किया गया व्यतिक्रम में किया गया, ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित प्रतीत होता है, किन्तु प्रार्थी/अपीलार्थी की और से पुनः सुनवाई हेतु प्रार्थना–पत्र बेरून मियाद में पेश किया गया है ऐसी स्थिति प्रार्थी की और से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 को रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र की कॉस्ट राशि पर स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत में हुये विलम्ब को क्षम्य किया जाकर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत मियाद शुमार किया जाता है, तथा वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत् न्यायालय हाजा के निर्णित प्रकरण संख्या 039/2020(रा.अ.) अनवानी बालु बनाम तहसीलदार राशमी वगैराह अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भू–राजस्व अधिनियम, 1956 निर्णय दिनांक 26.11.2021 को पुनः सुनवाई हेतु संस्थित किये जाने को स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार न्यायालय हाजा के निर्णित प्रकरण संख्या 039/2020(रा.अ.) अनवानी बालु बनाम तहसीलदार राशमी वगैराह अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 निर्णय दिनांक 26.11.2021 को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी कॉस्ट राशि राशि विधिक सहायता में जमा करा रसीद/चालान प्रस्तुत करावें, फलत् वकील प्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् प्रकरण संख्या 039/2020(रा.अ.) अनवानी बालु बनाम तहसीलदार राशमी वगैराह अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 निर्णय दिनांक 26.11.2021 को पुनः सुनवाई हेतु संस्थित किये जाने को स्वीकार किया जाता है एवं 039/2020(रा.अ.) अनवानी बालु बनाम तहसीलदार राशमी वगैराह अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 निर्णय दिनांक 26.11.2021 को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली को नियमानुसार पुनः नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली मूल पत्रावली प्रकरण संख्या 039/2020(रा.अ.) अनवानी बालु बनाम तहसीलदार राशमी वगैराह अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 निर्णय दिनांक 26.11.2021 के साथ हम किता रहे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **–SD–** **(प्रभा गौतम)** अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ **20.02.2026**	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official